



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072023-247129
CG-DL-E-07072023-247129

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2867]
No. 2867]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 7, 2023/आषाढ़ 16, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 7, 2023/ASHADHA 16, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2023

(आयकर)

का.आ. 2992(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, का.आ. 2915(अ) दिनांक 13 नवंबर, 2014 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सं. 70/2014 की अधिसूचना में, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची -I में, क्र.सं. 2 की पंक्ति के लिए, निम्नलिखित पंक्ति को रखा जाएगा, अर्थात्:-

क्र.सं.	आयकर महानिदेशक (अन्वेषण)	मुख्यालय	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (केन्द्रीय)	मुख्यालय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	आयकर महानिदेशक (अन्वेषण), बेंगलुरु	बेंगलुरु	(iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), बेंगलुरु	बेंगलुरु
			(iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), पणजी	पणजी

2. यह अधिसूचना दिनांक 10.07.2023 से लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 47/2023/फा. सं. 187/3/2020-आईटीए-I]

विकास सिंह, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 70/2014 को शुद्धिपत्र का.आ. 2922(अ) दिनांक 15 नवम्बर, 2014 के साथ पठित का.आ. 2915(अ) दिनांक 13 नवम्बर, 2014 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अगला संशोधन का.आ. 1160(अ) दिनांक 11 मार्च, 2021 के माध्यम से अधिसूचना सं. 14/2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया और अंतिम बार संशोधित कर का.आ. सं. 2926(अ) दिनांक 28 जून, 2022 के माध्यम से अधिसूचना सं. 71/2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी।